



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.139(78)विविध / पार्ट-1 / विधि / पंरा / 23

जयपुर,दिनांक:-

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, सीकर।

विषय:-मदरसा व मस्जिद के पट्टे चाहने के संबंध में मार्गदर्शन
बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्रांक 733 दिनांक 26.06.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की क्रम में लेख है कि आपके द्वारा मदरसा व मस्जिद/धार्मिक संस्थाओं के पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियमों में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में किसी धार्मिक संस्था को निःशुल्क पट्टा आवंटन का प्रावधान नहीं है।

उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

